<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–37/2026</u>
<u>श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–51/2026.</u>
सरकार बनाम् कमाल बैठा उर्फ मो0 कमाल
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 3(5) of BNS.
<u>सी.एन.आर.नं0–BRSO010006762026</u>

कमाल बैठा उर्फ मो0 कमाल, पिता–कतिप बैठा,
निवासी ग्राम–डुमरी–कटसरी, वार्ड नं0–10, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर..आवेदक।
बनाम्
बिहार सरकार...विपक्षी।
आवेदक के विद्वान अधिवक्ता —श्री योगेन्द्र साह/श्री अमित कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक —श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
25.03.2026

<u>दिनांक–25.03.2026</u> **<u>आदेश</u>**

काराधीन अभियुक्त–कमाल बैठा उर्फ मो0 कमाल (अभियुक्त), जिन्हें श्यामपुर भटहां थाना कांड कांड संख्या–51/2026, अंतर्गत धारा–**126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 3(5)** बी0एन0एस0 के अपराध के संदर्भ में दिनांक–06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र साह एवं श्री अमित कुमार के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें सूचिका नाजरा खातून ने श्यामपुर भटहां थाना पर दिये गये अपने टंकित आवेदन में लिखी है कि–मेरे पड़ोसी कमाल बैठा (अभियुक्त), पिता–कतिप बैठा, कतिप बैठा, पिता–स्व0 गोलमली, सहनाज खातून, पति–कमाल बैठा, ग्राम–डुमरी–कटसरी, वार्ड नं0–10, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर है। घटना दिनांक–21.02.2026, समय करीब 04:00 बजे संध्या में मेरे छोटे बच्चे के साथ मेरे पड़ोसी के पुत्र लगभग पॉच वर्ष ने मार–पीट को लेकर विवाद हुआ और मैं पूछी की मेरे छोटे बच्चों को क्यों मार दिये हैं, इसी बात को लेकर कातिप बैठा ने अपने घर से लोहे के रड लेकर आये, पीछे बाल पकड़कर पटक दिया, जिससे बेलग्न हो गये और कमाल बैठा (अभियुक्त) ने लोहे रड से जान मारने की नियत से सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया, पूरे शरीर खून से लहु–लुहान हो गया, जिससे बचाने के लिए मेरे ससुर मो0 इम्तेयाज जैसे आये उसके पर जानलेवा हमला किया। साहनाज खातुन, मुस्कान खातुन एवं कमाल बैठा एवं कतिब हमला बुरी तरह लाठी, रड एवं डंडा से मारकर सिर फाड़ दिया एवं पूरे शरीर पर मारकर जख्मी कर दिया गया है एवं मेरे घर में से बीस हजार रुपया सहनाज खातुन रुपया निकाल लिया एवं सोने की कान की बाली, नथुनी, सोने का लगभग पचास हजार जो सहनाज खातुन, चॉद तारा ने निकाल लिया गया है। अगल–बगल के लोग आये तो मेरा जान बचा। मेरे पड़ोसी लोग ही उठाकर प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरी–कटसरी उठाकर ले गये, जहॉ पर मेरा पहला ईलाज होकर दिनांक–23.02.2026 को रेफर सरोजा सीताराम सदर अस्पताल, शिवहर कर दिया गया। दिनांक–25.02.2026 को पंचायती हुआ तो सभी मानने को तैयार नहीं हुआ है। सभी जान मारने की मकी अभी दिए जा रहा है। श्यामपुर भटहां थाना हमलोगों को कुछ नहीं करेगा। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम, शिवहर के द्वारा खारिज किये जाने के बाद आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय

लगातार/–

<u>न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।</u>
<u>जमानत आवेदन संख्या–37 / 2026</u>
<u>श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–51 / 2026.</u>
सरकार बनाम् कमाल बैठा उर्फ मो0 कमाल
अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 303(2), 351(2), 3(5) of BNS.
<u>सी.एन.आर.नं0–BRSO010006762026</u>

<u>दिनांक–25.03.2026</u>

न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का इस मुकदमा के अलावा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में हैं। आवेदक के विरूद्व लगाया गया आरोप झूठा एवं निराधार है। ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण आवेदक को इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। उभय पक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। प्रस्तुत वाद की घटनातिथि को ही सूचिका के पति महफुज आलम एवं इम्तेयाज बैठा आवेदक के घर में घुसकर उसके पत्नी शहनाज खातुन के साथ मारपीट एवं छेड़खानी किये थे, जिसके लिए आवेदक की पत्नी ने सूचिका एवं अन्य के विरूद्व श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–50 / 2026 (प्राथमिकी की छाया–प्रति संलग्न) दर्ज कराया है और उसी वाद से बचने के लिए सूचिका के द्वारा यह झूठा केस आवेदक एवं अन्य के विरूद्व दर्ज करा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उसके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–कमाल बैठा उर्फ मो0 कमाल पर प्राथमिकी के नामित अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दोनों पक्षों के बच्चें–बच्चें के बीच हुए झगड़े में विवाद के कारण सूचिका एवं उसके ससुर के सिर पर लोहे के रड से मारने का आरोप है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद है, जिसके समर्थन में जमानत आवेदन के साथ प्रस्तुत वाद की घटनातिथि के ही दिन आवेदक अभियुक्त की पत्नी के द्वारा प्रस्तुत वाद की सूचिका एवं अन्य के विरूद्व दर्ज कराये गये श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–50 / 2026 की प्राथमिकी की छाया–प्रति दाखिल की गई है। वाद दैनिकी की कंडिका–03. पर वादिनी का पुनःबयान है। कंडिका–06. में साक्षी ने दोनों पक्षों के बीच बच्चें–बच्चें के बीच हुए झगड़े में विवाद के कारण मार–पीट होने की बात कहा है। कंडिका–15. में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि थाना अभिलेख में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व इस कांड के अलावे पूर्व से कोई अन्य मामला दर्ज नहीं है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वाद दैनिकी की कंडिका–01. से लेकर कंडिका–44. तक में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त कंडिकाओं में जख्मी के जख्म प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संदर्भ में संबंधित अस्पतालों से पत्राचार किये जाने का तथ्य अंकित है, लेकिन कोई भी जख्म प्रतिवेदन संबंधित अनुसंधानक के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। दिनांक–21.02.2026 की घटना के लिए दिनांक–05.03.2026 को प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गई है। प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों के बीच पंचायती भी हुआ, जो सफल नहीं हो सका। आवेदक अभियुक्त दिनांक–06.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त की कारावधि एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर अंतर्गत धारा–480(3) बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0 / –

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
25.03.2026